मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द **धारा १३ का संशोधन**

"वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा", के स्थान पर, शब्द "वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारबार करने में आसानी (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण कारक है, जो राष्ट्र एवं राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. इस दृष्टि से, ऐसे कृत्यों को, जिनमें केवल वित्तीय हानियां अंतर्वलित हैं, अपराधमुक्त होना चाहिए. अतएव, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्र. १३ सन् १९८४) की धारा १३ (२) को संशोधित करना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे कि कारावास के दण्ड को हटा दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति लेखापुस्तकें, अभिलेख, घोषणा, विवरणियां या अधिनियम द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखने या उपलब्ध नहीं कराने की दशा में केवल शास्ति का दण्ड प्रस्तावित किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ सितम्बर, २०२२

डॉ. कुँवर विजय शाह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) से उद्धरण.

धारा १ से १३ (१) * * * * *

धारा १३ (२) यदि कोई व्यक्ति—

(एक) जब उसे इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन के किसी आदेश द्वारा कोई कथन करने या ऐसी जानकारी देने के लिये अपेक्षित किया गया हो, ऐसा कथन करेगा या ऐसी जानकारी देगा जो किसी तात्विक (Material) विशिष्ट के संबंध में मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है अथवा जिसके बारे में उसे यह विश्वास नहीं है कि वह सत्य है; या

(दो) किसी बही, लेख, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में, जिसे रखने या देने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, यथापूर्वोक्त कोई कथन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो छः हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.